बिहार विधान-सभा-वादवृत्त।

वृहस्पतिवार, तिथि २७ मार्च, १९५२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २७ मार्च, १९५२ को पूर्वाह्न ११ बजे, माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

24-HOURS DUTY FROM ORDERLY PEON.

*96. **Shri JITU RAM**: Will the Hon'ble Minister for Local self-Government Department be pleased to state—

(*a*) are Government aware that the present P. A. to the I. G. C. H. takes twenty-four hours private works from his orderly peon at his quarters due to which visitors in the Secretatriat are put to great inconveniences;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative what actions Government contemplate to take against the P. A. for violating Government orders of not taking private works from the peon and putting an end to visitors' inconveniences?

The Hon'ble Pandit BINODANAND JHA: (*a*) The allegation is not found to be true. The orderlies of P. A. to I. G. C. H. are always present in the office during the office hours.

(*b*) The question does not arise.

खादी के व्यवसाय के लिए सरकार की ओर से कर्ज।

*११४। श्री जयनारायण झा—क्या माननीय मंत्री, विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) खादी व्यवसाय को प्रगति और प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार ने बिहार खादी समिति को अब तक कुल कितने रुपये दिये हैं और किस-किस रूप में (ऋण, साहाय्य और पुरस्कार);

(ख) क्या सरकार को यह खबर है कि बिहार खादी समिति के पास अभी लाखों रुपये के खद्दर बन कर जमा हो गये हैं और उनकी बिक्री मंदी गति से होती है इसलिए पूंजी का बहुत बड़ा भाग फंसा हुआ है;

(ग) सरकारी विभागों के लिए प्रति वर्ष औसत कितने रुपये के कपड़े खरीदे जाते हैं;

Memo. no. 1, dated Muzaffarpur, the 2nd January, 1952.

Copy forwarded to the Deputy Director of Education (General), Bihar, for information with reference to his memo. no. VII/A/10025/51-E—21149, dated the 3rd December, 1951.

Sd. E. VERMA,

Lady Principal,

Chapman Girls' H. E. School, Muzaffarpur.

(ग) मिसेज पट्रिक का सरकारी नौकरी में बहाली का कोई क्लेम तो नहीं है। फिर भी डी० पी० आई० उन्हें जिले के अन्य किसी स्कूल में उनकी योग्यता के अनुकूल पद पर नियुक्त करने का विचार कर रहे हैं।

चैपमैन गर्ल्स स्कूल में छात्रावास।

*१३७। श्री राम गुलाम चौधरी—क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मुजफ्फरपुर चैपमैन गर्ल्स स्कूल में छात्रावास (बोर्डिंग) है या नहीं, यदि है तो क्यों लड़कियां रखने से इनकार की जाती हैं;

(ख) सरकार बताने की कष्ट करेगी कि हेड मिस्ट्रेस, चैपमैन गर्ल्स स्कूल विवाहिता हैं या अविवाहिता हैं; यदि विवाहिता हैं तो उनके रहने का स्थान कहां है?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—(क) उत्तर ना है।

(ख) लेडी प्रिंसिपल विवाहिता हैं। उनके रहने के लिये क्वार्टर है जो स्कूल के हाते के उत्तर-पश्चिम कोने पर है।

श्री राम गुलाम चौधरी—मैं जानना चाहता हूं कि चैपमैन गर्ल्स स्कूल में लड़कियों के लिये होस्टल है या नहीं?

माननीय श्री बदरीनाथ वर्मा—उत्तर में कहा गया है कि नहीं है।

शिक्षकों की सर्विस बूक का खोला जाना।

*१३८ श्री रामाशीष ठाकुर—क्या माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग से शिक्षकों की सर्विस बूक खोलने की आज्ञा मिले बहुत दिन हो गये फिर भी आज तक सर्विस बूक नहीं खुली;

(ख) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है;